प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।

2. इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।

3. इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विनियोग लेखे की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा अभियुक्तियां समाविष्ट हैं।

4. **अध्याय-3** चालू वर्ष के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य सेक्टरों से सम्बन्धित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को उपलब्ध करवाता है।